

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2017

जयपुर, दिनांक : 30.06.2017

आदेश


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर कार्य व्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक लगाया जाता है:-

क. सं.	नाम अधिकारी व पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	कार्य व्यवस्था के तहत पदस्थापन स्थान
1	डा. एस. पी. गर्ग, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन)	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अन्ता, बारां	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अन्ता, बारां
2	डा. कन्हैया लाल मीणा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शीशवाली, बारां	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अन्ता, बारां
3	डा. सुमन लता खत्री, चिकित्सा अधिकारी (गायनी)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डूंगरगढ, बीकानेर (वर्तमान में कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत पी. बी. एम. अस्पताल, बीकानेर में पदस्थापित)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोखा, बीकानेर
4	डा. संगीता कुमारी जांगिड, चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चाकसू, जयपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उनियारा, टोंक
5	डा. कमल कुमार गोठवाल, चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चाकसू, जयपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांगरोल, बारां
6	डा. सुनील कुमार सैनी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसाऊ, झुंझुनू	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिडावा, झुंझुनू
7	डा. प्रतिभा मीणा, चिकित्सा अधिकारी (गायनी)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगंजमण्डी, कोटा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर, कोटा
8	डा. शरद नलवाया, उप निदेशक (निश्चेतन ट्रेण्ड)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगपुर, भीलवाडा	सैटेलाईट अस्पताल, शाहपुरा, भीलवाडा
9	डा. जगदीश मीणा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डौन सिटी, करौली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडाभीम

डा. जी. एल. गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना, भरतपुर अपने कार्य के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना, भरतपुर में निश्चेतन का कार्य भी संपादित करेंगे।


उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
- 4- संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान
- 5- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान
- 6- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान
- 7- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
- 8- संबंधित अधिकारी
- 9- कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
- 10- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।


शासन सहायक सचिव